कार्यालय, कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक / **GENS/97806/2026-O/O DPO WCD JSP** / मबावि / मि.वा. / 2026–27 जशपुर, दिनांक **ई–हस्ताक्षरानुसार**

प्रति,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
4. जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, समस्त
   जिला– जशपुर (छ.ग.)
7. परियोजना अधिकारी (समस्त)
   महिला एवं बाल विकास विभाग,
   जिला– जशपुर (छ.ग.)

विषयः– बाल विवाह रोकथाम अभियान अतंर्गत दिनाकं 27 नवम्बर 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करते हुए दिनांक 21.10.2026 से 21.12.2026 तक अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने विषयक्।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति का पत्र क्र.30 / GENS/28361/2025-WCD HOD MISSION VATSALYA नवा रायपुर, दिनांकः 23.10.2026।

———000———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम के लिए 21 अक्टूबर 2026 से 21 दिसम्बर 2026 तक बाल विवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए दिनांक 27 नवम्बर 2026 को **विशेष ग्राम सभा** का आयोजन, सार्वजनिक स्थलों पर शपथ कार्यक्रम तथा अन्य उपयुक्त गतिविधि आयोजन के संबंध में लेख किया गया है।

कृपया भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 21.10.2026 के प्रकाश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार अभियान को लेकर निरंतर गति बनाये रखने के लिए 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान दिनांक 21 अक्टूबर से 21 दिसम्बर 2026 तक गहन अभियान संचालित किया जाना है, जिसमें अभियान के तहत् संबंधित विभाग अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाओं, एएनएम, विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, स्व–सहायता समुहों, युवा और सामुदायिक स्तर, धार्मिक संगठनों, पुलिस और अन्य जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को जन जागरूकता करने, शपथ दिलाने, कानूनी साक्षरता प्रदान करने, बाल

विवाह के मामलों की पहचान व रिपोर्टिंग करने के लिए स्थानीय पुलिस व स्वयं सेवकों के साथ समन्वय कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से बाल विवाह की जानकारी प्रदान करेंगे।

दिनांक 27 नवम्बर 2026 को विशेष ग्राम सभाएं, सामुहिक शपथ ग्रहण, स्थानीय जन जागरूकता कार्यक्रम व और अन्य उपयुक्त गतिविधियां आयोजित की जायेगी, सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जाये और बाल विवाह की रोकथाम में अच्छी प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाये एवं परियोजना अधिकारी अपने–अपने सेक्टर पर्यवेक्षक को दिनांक 27 नवम्बर 2026 को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर जानकारी संकलित करते हुए प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से शपथ लेने के लिए चरण–दर–चरण अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्तानुसार दिनांक 27 नवम्बर 2026 को **विशेष ग्राम सभा** का आयोजन करते हुए भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.10.2026 के द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें एवं कृत कार्यवाही की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकरी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जशपुर (छ.ग.) को अवगत करावें ताकि जानकारी संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर को जानकारी प्रेषित किया सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ **GENS/97806/2026-O/O DPO WCD JSP**(ए)/मबावि/मि.वा./2026–27 जशपुर, दिनांक **ई–हस्ताक्षरानुसार**
प्रतिलिपिः–

1. **संचालक**, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास एंव सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति अटल नगर, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **सहायक संचालक**, जनसंपर्क विभाग, जिला– जशपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. **सर्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों चाईल्ड हेल्पलाईन, मिशन वात्सल्य, ...** .....को अपने विकास खण्डों में प्रचार–प्रसार एवं विशेष ग्राम सभा आयोजित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पालनार्थ।

Digitally signed by
ROHIT VYAS
Date: 29-10-2026
11:47:43

कलेक्टर
जिला–जशपुर (छ.ग.)